कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

कमांक–न–5(८५)पु.फो. / कानि.भर्ती / 2021 / 128 दिनांकः– 03 फरवरी, 2022

कॉन्स्टेबल भर्ती (उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा) हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल सामान्य / चालक / बैण्ड के जिला / यूनिटवार विज्ञापित 4588 पदों के नियमानुसार 2 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई–मित्र कियोस्क एवं जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) एवं विभाग की वैबसाईट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 03.02.2022 से 28.02.2022 तक भरे जा सकते हैं।

भर्ती प्रकिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश / परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे।

उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र माने जावेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में चयनित अभ्यर्थियों को केवल कॉन्स्टेबल सामान्य पदों की रिक्तियों के विरूद्व नियुक्ति दी जाएगी।

भर्ती हेतु योग्यता / पात्रता, भर्ती प्रक्रिया, इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या–35 / 2021 एवं 02 / 2022 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जाएगा।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना, समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें।

1. आवेदन प्रक्रिया :–

(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन 'online application form' लिये जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थी का SSO IDउपलब्ध होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी का SSO IDनहीं है तो वहsso.rajasthan.gov.in पर SSO IDबना सकता है अथवा SSO ID ई–मित्र कियोस्क या जन–सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO IDअभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना / होनाआवश्यक होगा।

ऑनलाईन आवेदन फार्म के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 9352323625 / 7340557555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

एक से अधिक खेल / इवेन्ट में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक–पृथक शुल्क के साथ पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा`online application form' निम्नानुसार भरा जा सकता है:–

i. स्वयं के स्तर परः–

अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से वैबसाईट www.recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में आवदेन शुल्क नेट–बैंकिग या डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर–

आवेदक– आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु संबंधित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क देय होगें, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन–पत्र / हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा **स्वीकार नहीं** किऐ जाएंगे।

(घ) आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई–मेल आईडी एवंमोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा हो गया है।

(ड.) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञप्ति

जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20kb- 50 kb) स्कैन हेतु, ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लायें।

नोटः–

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थीसे अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाईन आवेदन करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा–निर्देश (instruction) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंवे एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जावें कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। **ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक मापतौल, प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जांच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।**

(2) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नही किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पृथक से कोई प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(5) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन–पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नही हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।

(6) **आवेदक द्वारा Onlineआवेदन पत्र भरे जाने तथा तत्पश्चात त्रुटि सुधार करने का समय दिये जाने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार माना जाकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं जायेगा, उसकी उम्मीदवारी निरस्त समझी जायेगी।**

2. आवेदन शुल्क–

(क) सामान्य/राजस्थान के क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु – रुपये 500/–

(ख) आर्थिक पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के नॉन–क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है आवेदक हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु) रुपये 400/–

(कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प–8(3)कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02–05–2018 के अनुसार)
नोट–1–बिन्दु संख्या–ख से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल (पीएसटी) के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

3. प्रवेश–पत्र

विभाग द्वारा अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया हेतु शारीरिक मापतौल, प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जांच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के लिए प्रवेश–पत्र ऑनलाईन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेबसाईट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वैबसाइट से प्राप्त (download) करने हेतुsso id से loginके पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल (recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

4. <u>उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का प्रावधानः–</u>

राज्य सरकार की अधिसूचना सख्या एफ–5(31)कार्मिक/क–2/84/15.03.13, एफ–5 (31)डीओपी/ ए–ii/84 दिनांक 21.11.2019 एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 के नियम–7 सी के प्रावधानानुसार **राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से माना जाएगा**। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी।

खेल कोटा में चयनित अभ्यर्थी का नाम जिला/यूनिट की चयनसूची में सामान्य कानि. से नीचे होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य खेल अधिकारी, राजस्थान पुलिस, प्रशिक्षण/अभ्यास/प्रतियोगिता हेतु किसी भी स्थान पर भेज सकेंगे।

5. <u>भर्ती हेतु रिक्त पद</u>

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 2305दिनांक 29.10.2021 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 2361 दिनांक 08.11.2021 में कानि. सामान्य, चालक एवं बैण्ड के जिला/यूनिट/बटालियन स्तर पर विज्ञापित पदों के2 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाडियों हेतु आरक्षित रखे गये जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क. सं.	जिला/यूनिट का नाम	जिलेवार विज्ञापित पद (तकनीकी पदों के अतिरिक्त)	उत्कृष्ट खिलाडी कोटा हेतु आरक्षित पद (2%)
1	आयुक्तालय, जयपुर	818	16
2	जिला जयपुर ग्रामीण	71	1
3	जिला बाडमेर	39	0
4	जिला भीलवाडा	184	3
5	जिला राजसमन्द	125	2
6	जिला चित्तौड़गढ	163	3
7	आयु. जाधेपुर	374	7
8	जिला जाधेपुर ग्रामीण	96	1
9	जिला जैसलमेर	86	1
10	जिला जालौर	113	2
11	जिला कोटा शहर	120	2
12	जिला कोटा ग्रामीण	53	1
13	जिला बून्दी	83	1
14	जिला बांरा	103	2
15	जिला झालावाडा	96	1
16	जिला बीकानेर	153	3
17	जीआरपी अजमेर	30	0
18	जीआरपी जोधपुर	16	0
19	द्वितीय बटा.आरएसी, कोटा	25	0
20	तीसरी बटा.आरएसी, बीकानेर	45	0
21	चतुर्थ बटा.आरएसी, जयपुर	27	0
22	पांचवी बटा0 आरएसी, जयपुर	17	0
23	सातवी बटा. भरतपुर	41	0
24	8वीं बटा. दिल्ली	38	0
25	9वीं बटा. टोंक	61	1
26	10वीं बटा. बीकानेर	17	0
27	11वीं बटालियन आरएसी, दिल्ली	36	0
28	12वीं बटालियन आरएसी, दिल्ली	47	0

क्र. सं.	जिला/यूनिट का नाम	जिलेवार विज्ञापित पद (तकनीकी पदों के अतिरिक्त)	उत्कृष्ट खिलाडी कोटा हेतु आरक्षित पद (2%)
29	13वीं बटालियन आरएसी, जयपुर	94	1
30	14वीं बटा.आरएसी पहाड़ी भरतपुर	34	0
31	हाड़ीरानी म0बटा, नारोली अजमेर	19	0
32	सीआईडी आईबी	304	6
33	सीआईडी सीबी	46	0
34	पुलिस दूरसंचार	154	3
	योग एनटीएसपी	**3728**	**57**
35	जिला उदयपुर	197	3
36	जिला बांसवाडा	120	2
37	जिला डूंगरपुर	153	3
38	जिला प्रतापगढ	92	1
39	महाराणा प्रताप बटा.	40	0
40	एमबीसी खैरवाड़ा टीएसपी	96	1
41	एमबीसी बांसवाडा टीएसपी	19	0
	योग टीएसपी	**717**	**10**
	कुल योग	**4445**	**67**

जिन जिला/यूनिट में रिक्त पदों की संख्या 50 से कम है उन जिला/यूनिट में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के पद नही बनने से नियमानुसार पद विज्ञापित नही किये गये है।

नोट–पदों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।

उपरोक्त विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में शेष रहे रिक्त पदों को सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन हेतु विज्ञापित पदो के साथ अनारक्षित मानते हुए भरा जाएगा।

नोट:– भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प–13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट–3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा (अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान राज्य आदेश 2018) में राज्य के जिला उदयपुर/चित्तोडगढ/पाली/सिरोही/राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में जोड़ने/बढाये जाने के कारण उन क्षेत्रों में भी अन्य पिछडा वर्ग/एमबीसी को आरक्षण देय नहीं है।

➤ पदों का वर्गीकरण

क्र.सं.	खेल का नाम	पोजिशन/ईवेन्ट	कॉन्स्टेबल			
			पुरूष	महिला	योग	कुल योग
1	फुटबाल	गोलकीपर	2	0	2	11
		डिफेण्डर	3	0	3	
		मिडफिल्डर	3	0	3	
		स्ट्राईकर	3	0	3	
2	हॉकी	गोलकीपर	2	0	2	12
		डिफेण्डर	3	0	3	
		मिडफिल्डर	4	0	4	
		स्ट्राईकर	3	0	3	
3	बॉस्केटबाल	पोस्ट प्लेयर	1	2	3	7
		ऑलराउण्डर	1	1	2	
		शूटिंग गार्ड	1	0	1	
		पाइन्ट गार्ड	0	1	1	

क्र.सं.	खेल का नाम	पोजिशन/ईवेन्ट	कॉन्स्टेबल			कुल योग
			पुरूष	महिला	योग	
4	कबड्डी	राईट कवर	1	1	2	8
		लेफ्ट कवर	1	0	1	
		राईट कॉर्नर	0	1	1	
		लेफ्ट कॉर्नर	0	1	1	
		रैडर	2	1	3	
5	वालीबॉल	यूनिवर्सल	2	0	2	6
		अटैकर	1	2	3	
		मिडल ब्लॉकर	0	1	1	
6	हैण्डबॉल	गोलकीपर	1	1	2	7
		राईट बैक	0	1	1	
		लेफ्ट बैक	1	1	2	
		राईट विंग	0	1	1	
		लैफ्ट विंग	0	1	1	
7	तीरंदाजी	रिकर्व	1	1	2	2
8	जिम्नास्टिक	–	0	2	2	2
9	एथलेटिक्स	110 मी. हर्डल	1	0	1	12
		400 मीटर	1	0	1	
		800 मीटर	1	0	1	
		1500 मीटर	1	0	1	
		3000 मीटर स्टीपलचेस	1	0	1	
		5000 मीटर	0	1	1	
		10 कि.मी. कॉसकन्ट्री	2	0	2	
		20 कि.मी. रेस वॉक	1	0	1	
		लोन्ग जम्प	0	2	2	
		जेवेलियन थ्रो	0	1	1	
	योग–		44	23	67	67

6. <u>उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेतः–</u>

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग राजस्थान की अधिसूचना संख्या–एफ–5(31)डीओपी/ ए–2/84 दिनांक 21.11.19 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान के मूल निवासी है और जिन्होनें:–

(i) नीचे वर्णित सारिणी के स्तम्भ संख्यांक–2 में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक–3 में उल्लेखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया होः–

सारणी

क्र. सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप का नाम
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्म कालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंग (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंग	विश्वकप/ विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से सम्बद्ध एशियन खेल परिसंग	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंग (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/ चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंग(ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/ चैम्पियनशिप

या

(ii) स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एशोसिएशन या इस्से सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट या चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(iv) एसोशिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(v) इण्डियन ओलम्पिक एशोसिएशन या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल–कूद की नेशनल चैम्पियनशिप/नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

7. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

(i) अभ्यर्थी राजस्थान का मूलनिवासी होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्स्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी)

जिला/यूनिट/बटालियन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस/आईबी	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
पुलिस दूरसंचार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित/कम्प्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सैकण्डरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
आर.ए.सी./एमबीसी बटालियन	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण

नोट– जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(iv) आयु सीमा–

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–11 (3) अनुसार ऊपरी आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 01 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है। नियमानुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2023 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरूष/महिला	पुरूष	महिला
सामान्य/ राजस्थान के क्रीमिलेयर श्रेणी के ओबीसी और एमबीसी वर्ग	01.01.2005	02.01.99	02.01.94
एस.सी./एस.टी./ई.डब्ल्यू.एस. सहरिया वर्ग/राजस्थान के नॉन–क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी/एमबीसी वर्ग	01.01.2005	02.01.94	02.01.89
कर्त्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.2005	02.01.96	02.01.91
भूतपूर्व सैनिक	लागू नहीं	02.01.80	02.01.80

नोटः– उपरोक्त वर्णित आयु में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा।

(v) शारीरिक मापदण्ड–

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एंव वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:–

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बांरा जिले के सहरिया अदिवासियों के लिए मापदण्ड	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाऐ–81से.मी. फुलाने पर–86से.मी. (सीने का फुलाव कन से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाऐ–74से.मी. फुलाने पर–79से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट–

1. विहित शारीरिक योग्यता के मानदण्डों के धारक अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के वांछित संख्या में सुयोग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की स्थिति में, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थी जिनकी लम्बाई और सीने की माप 5से.मी. तक कम है, भी शारीरिक दृष्टि से योग्य माने जावेंगें।
2. पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियम–14 राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
3. बारां जिले की सहरिया आदिवासी महिलाओं को छोडकर अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित उंचाई 152 से.मी. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

(vi) चिकित्सकीय मापदण्ड–

1. अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 (बेहतर आंख) और N9 (बदतर आंख) होनी चाहिए अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दूर दृष्टि 6X6 (बेहतर आंख) और6X9 (बदतर आंख) होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee),नसें फूली हुई होना (Varicose veins),भैंगापन (squint),रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering),पैर समतल (flat foot)हरनिया (Herniya)शल्य प्रोबलम (surgical problems)या अन्य कोई विकृति/अंग–भंगजो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

8. नियुक्ति के लिए अयोग्यता–

(i) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधर है।

(ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01–06–2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01–06–2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती।जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–2/95/पार्ट–2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जाएगा।

(iii) राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प–6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित (डिबार) किये गये ऐसे अभ्यर्थीजिनके वंचित(डिबार) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प–1(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 04.12.2019 एवं अधिसूचना क्रमांक प–2(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 02.03.2020 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों के तत्कालिक प्रावधान लागू होगें।

9. <u>आवश्यक खेल प्रमाण पत्र–</u>

अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से विभाग की आवश्यकतानुसार उपरोक्त खेलों के खिलाडियों के, नीचे अंकित खेल संस्थाओं द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे:-

1. इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमेटी (IOC)
2. ओलम्पिक कॉउन्सिल ऑफ एशिया (OCA)
3. इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (IOCसे सम्बद्ध)
4. कॉमनवेल्थ गेम्स फैडरेशन (CGF)
5. एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन (OCAसे सम्बद्ध)
6. साउथ एशियन ओलम्पिक कॉउन्सिल (SAOC)
7. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन(IOA)
8. नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (IOAसे सम्बद्ध)
9. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज (AIU)
10. इन्टरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF)
11. एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ASSF)
12. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (SGFI)

10. <u>भर्ती हेतु चयन प्रकिया–</u>

खेल कोटा के अन्तर्गत कॉस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 7(सी) के प्रावधान तथा इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या–35/2021 में उल्लेखित प्रकिया के अनुसार किया जाएगा।

चयन प्रकिया के 100 अंक होगें जो 03 चरणों में आयोजित होगी– खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, शारीरिक मापतौल एवं ट्रायल। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक तथा ट्रायल के 30 अंक होगें।

(अ) खेल प्रमाण पत्र (70 अंक):–

(i) खेल प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 5 वर्ष से पूर्व के नही होने चाहिए।
(ii) खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक **weightage** वाले केवल एक ही प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान किये जाएंगे।
(iii) आवेदन पत्र के साथ खेल प्रमाण पत्र अपलोड करते समय अभ्यर्थी यह विशेष ध्यान रखें कि मूल खेल प्रमाण पत्र से ही स्कैन कर इमेज अपलोड की जाए, न कि फोटो कॉपी से।

S.N.	Certificate		Marks
1.	Won medal in Individual or Team event/ Represented country in Olympic Games (Summer) /World Cup/World Championship/Asian Games/ Commonwealth Games.	1st position	70
		2nd position	67
		3rd position	64
		any other	61
2.	Won medal in Individual or Team event/ Represented country in Asian Championship/Asia Cup/SAF Games.	1st position	58
		2nd position	55
		3rd position	52
		any other	49

3.	Won medal in Individual or Team event/ participated in International School Championship /Asian School Championship/National Games/ Senior National Championship/Open National Athletic Championship/ National Inter State Senior Athletic Championship/ Federation Cup National Senior Championship/National Cross Country Championship Games	1st position	46
		2nd position	43
		3rd position	40
		any other	17
4.	Won medal in Individual or Team event/ Participated in Youth National Games/Youth National Championship/Junior National Championship/Sub Junior National Championship	1st position	34
		2nd position	31
		3rd position	28
		any other	16
4 a	Medal winner in the Individual or in team event in National School Games/All India Inter University Games.	1st position	25
		2nd position	22
		3rd position	19

(ब) शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)–

अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14 में वर्णितानुसार शारीरिक माप–तौल (PST) की जाएगी। नियमानुसार गठित चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक माप–तौल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की ट्रायल ली जाएगी। चयन बोर्ड PST में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड तथा राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर मय सील होगी।

अपील–शारीरिक मापतौल से असन्तुष्ट अभ्यर्थी चयन बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/–शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए चयन बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथासमस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जाएगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। **बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ठ होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।**

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एकं सील लगाई जाएगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relaxation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relaxation) अंकित होगा।

नोट– अपील के सम्बन्ध में चयन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(स) ट्रायल (30 अंक)

ट्रायल के लिए उपयुक्त पाये गये प्रत्येक अभ्यर्थी की चयन बोर्ड द्वारा सम्बंधित खेल की ट्रायल ली जायेगी। चयन बोर्ड व ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल के दौरान खिलाडी की तकनीक, दक्षता इत्यादि का आंकलन किया जायेगा।

(i) व्यक्तिगत स्पर्धाः–

जिन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रदर्शन का आंकलन समय/दूरी/वजन/अंकों के आधार पर किया जाता है, उन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गत अखिल भारतीय पुलिस खेलों के 6 वें स्थान के प्रदर्शन के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी ही आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किये जायेंगे।

व्यक्तिगत स्पर्धाओं की ट्रायल में खिलाडियों को निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे:–

स्थान	अंक
प्रथम	30
द्वितीय	28
तृतीय	26

तीसरे स्थान के पश्चात नीचे आने वाले प्रत्येक स्थान के लिए 2 अंक कम किये जायेगें।

नोटः– यदि किसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एक ही अभ्यर्थी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की खेल विशेष की दक्षता के आंकलन हेतु चयन बोर्ड किसी बाहर के खिलाडी को बुलाकर उससे स्पर्धा करा सकेगा।

(ii) टीम स्पर्धाः–

चयन बोर्ड द्वारा ट्रायल कमेटी की मदद से सम्बंधित खेल के नेशनल स्पोर्टस फैडरेशन के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी की ट्रायल ली जायेगी।

अभ्यर्थी को व्यक्तिगत स्पर्धा/टीम स्पर्धा में ट्रायल के लिए निर्धारित 30 अंक में से कम से कम 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

चयन प्रकिया के दौरान 100 अंकों में कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 40 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(द) <u>स्वास्थ्य परीक्षण</u>–

चयन सूची की घोषणा के बाद उम्मीद्वारों को सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण जिला/यूनिट के रिजर्व पुलिस लाईन में होगी। उम्मीद्वार जो अस्थाई रूप से अयोग्य पाए जाते हैं और जिनके दोष को चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 महिने के भीतर ठीक किया जा सकता हैं, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होगें बशर्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाये जाते हैं। जो उम्मोद्वार निर्धारित समय के भीतर पुनः परीक्षा के बाद भी चिकित्सा फिटनेस के निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनकी उम्मीद्वारी रद्द कर दी जाएगी।

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

<u>अपील</u>–उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। पुनःस्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(य) <u>प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन</u>–

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग एवं खेल प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जॉच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को हीं नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. <u>मेरिट सूची एवं पदों का आवंटनः</u>–

चयन प्रकिया के दौरान खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन एवं ट्रायल के कुल 100 अंकों में से प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की खेल वाईज मेरिट सूची तैयार की जायेगी। व्यक्तिगत स्पर्धा की किसी विशेष वेट केटेगरी/अन्य केटेगरी में प्राप्त स्थान के आधार पर चयन नहीं किया जायेगा, बल्कि खेल वाईज मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।

छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अंक अधिक प्राप्त करने पर भी, मेरिट सूची में छूट प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से नीचे रखा जायेगा।

ट्रायल समाप्ति के तुरन्त पश्चात चयन बोर्ड अभ्यर्थियों से उन्हें जिला/यूनिट आवंटन हेतु काउन्सलिंग के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त करेगा। संयुक्त मेरिट सूची व प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों को जिला/यूनिट आवंटन में पुलिस महानिदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

12.वेतनमान और भत्ते-

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक(fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल-5 (Pay matrix-Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

13.प्रमाण पत्र-

अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल, प्रमाण पत्रों का सत्यपन/जांच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित(Self attested)एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे-

(i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
(ii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
(iii) सम्बन्धित खेल का प्रमाण पत्र।
(iv) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/एमबीसी वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
(v) अभ्यर्थी यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(vi) अभ्यर्थी यदि मृतक पुलिस कर्मी की सन्तान है तो उसकोसन्तान होने का प्रमाण-पत्र।
(vii) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
(viii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्चार्ज प्रनाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।
(ix) टीएसपी/सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
(x) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-II/2019 दिनांक 20.10.2019 के कम में आर्थिक पिछडा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 की आय का ऑन लाईन जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें।
(xi) निर्धारित आवेदन शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवं आय प्रमाण पत्र।
(xii) अभ्यर्थी से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5सेमी.)रंगीन फोटो।
(xiii) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र
(xiv) विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत।
(xv) अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।

14. महत्वपूर्ण निर्देश

(i) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-4 में उल्लेखित सैक्शन (i), (ii) (दो एमबीसी बटालियनों के मध्य).(iii)में भर्ती कानि. को राजस्थान के किसी भी जिला/बटालियन/आई. आर. बटालियन में पदस्थापित किया जा सकेगा।
(ii) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रकिया के दौरान अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
(iii) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रोंकी शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
(iv) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
(v) चयन प्रकिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
(vi) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को चयन प्रकिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(vii) अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। चयन प्रक्रिया के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

(viii) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षो में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

(ix) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(x) अन्तिम रूप से चयन उप्रान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या–13 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतितिपि संलग्न करनी होगी।

(xi) भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या–21/2019 एवं 02/2020 तथा विज्ञप्ति विभाग की वैबसाईट http://recruitment2.rajasthan.gov.in एवं www.police.rajasthan.gov.inपर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सूचना भी वेबसाईटपर उपलब्ध कराई जाएगी।

(xii) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 9352323625/7340557555and email id-recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.inपर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति नें समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे।इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (Amendments) भी लागू होंगे।

3/2/2022

(बिनीता ठाकुर)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक, गृहरक्षा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/कारागार/इन्टेलीजेन्स/राजस्थान।
2. समस्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त पुलिस अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी./एम.बी.सी./हाडीरानी बटालियन ।
9. समस्त प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान।
11. निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान।
12. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान।
13. समस्त जिला खेल अधिकारी, राजस्थान।
14. प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाईट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान, जयपुर।